**Appointmnet of Engineers in the All India Radio**

3041. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADASTING be pleased to state:

(a) whether any criteria for appointment of engineers in the All India Radio has been paid down;

(b) whether any plain science graduates appointed to the posts of engineers in All India Radio;

(c) what are the qualifications prescribed for appointments to the post of engineer-in-Chief in All India Radio; and

(d) whether there has been any violation of norms of qualification in appointment to the said post?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI AJIT PANJA): (a) Yes, Sir. Appointments are made as per Recruitment Rules framed for various posts.

(b) Science Graduates are eligible for appointment as Engineering Assistant.

(c) This is a promotion post. Officers in Senior Administrative Grade (Level-I) (Rs. 2500-2750) with 2 years combined regudar Service in Senior Administrative Grade (Level-I) (Rs. 2500-2750) and Senior Administrative Grade (Level-II) (Rs. 2250-2500) of Indian Broadcasting Engineers) Service, are eligible for consideration.

(d) No, Sir.

**स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए गया जिले के लम्बित आवेदन पत्र**

3042. **अश्विनी कुमार** : क्या गृह मंत्री 22 मार्च, 1986 को राज्य सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न 2614 के उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अधीन प्राप्त दिनांक 3 जून, 1986 और 11 अगस्त 1986 के आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन आवेदन पत्रों का सत्यापन किये जाने के पश्चात् गया जिला समिति की सलाह पर बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी सलाहकार समिति ने 8 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में इन आवेदन पत्रों को सर्व सम्मति से सत्यापित कर दिया था तथा इन पर अपनी संस्तुति दे दी थी। किन्तु सरकार ने इनको अब तक अनुमोदित नहीं किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन आवेदन पत्रों पर भी अपनी स्वीकृति दी है जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने उन आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की है जिन्हें बिहार राज्य समिति द्वारा 8.12.1985 को हुई अपनी बैठक में सत्यापित किया गया था?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणी पाणिग्रही)** : (क) और (ख) आवेदकों के नाम तथा पतों जैसे विवरणों तथा राज्य सरकार की पत्र संख्याओं के अभाव में माननीय सांसद को सरकार द्वारा आवेदनों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराना संभव नहीं है ।

(ग) और (घ) सामान्य रूप से अंतिम तिथि 31.3.1982 के बाद प्राप्त हुए आवेदन पर सम्मान पेंशन के लिए विचार नहीं किया जाता है तथापि उन आवेदनों पर, जिनके साथ सरकारी रिकार्डों पर आधारित दस्तावेजी साक्ष्य तथा समय पर आवेदन न कर सकने के ठोस कारण दिये होते हैं, देरी को माफ करने के लिए विचार किया जाता है और यदि अन्यथा पात्र समझा जाए तो पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है ।

(ङ) बिहार सरकार की सिफारिशें जब प्राप्त होती है तो उनकी जांच की जाती है और उपयुक्त निर्णय लिया जाता है?